पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मई, 2011 ई0 (बैशाख 17, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–19

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	191–204	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	99–100	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	25–27	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

नियोजन अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

24 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 19/XXVI/दो(21)2004–तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र कुमार, उप निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 14 जनवरी, 2011 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर संयुक्त निदेशक बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड के पद वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 पर अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार को संगत नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जाता है।

श्री रवीन्द्र कुमार को बीस सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड में संयुक्त निदेशक के रिक्त पद के सापेक्ष तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई विभाग

अधिसूचना/सेवानिवृत्ति

27 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 17/II–2010–01(03)/2011–वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड दो, भाग दो से चार के मूल नियम 56 के खण्ड (ग) एवं शासनादेश संख्या 1844/कार्मिक–2/2002, दिनांक 9–4–2003 के अन्तर्गत श्री किशन सिंह बिष्ट, सहायक अभियन्ता पंचम, किशाऊ बांध निर्माण खण्ड–प्रथम, देहरादून को उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दी गयी नोटिस दिनांक 1–11–2010 एवं मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 2902/मु0अ0वि0/विभा0अनु0/ई–5/सा0, दिनांक 31–12–2010 द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री किशन सिंह बिष्ट को दिनांक 31–1–2011 की अपरान्ह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

अधिसूचना

विविध

23 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 271/तीस–(1)/2011/26(5)/2004–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 233 सपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 है।

(2) यह नियमावली दिनांक 01–01–2011 से प्रभावी होगी।

2–उत्तरांचल शब्द के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना–

उत्तरांचल उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004, जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में "उत्तरांचल" शब्द के स्थान पर "उत्तराखण्ड" शब्द पढ़ा जायेगा।

3–नियम 6 के खण्ड (क) एवं (ख) का संशोधन–

मूल नियमावली, में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 6 के खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
"(क) पचास प्रतिशत (50%) पदोन्नति द्वारा सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) के मध्य से श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता (मेरिट कम सिनियॉरिटी) के सिद्धान्त के आधार पर"	"(क) पैंसठ प्रतिशत (65%) पदोन्नति द्वारा सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) के मध्य से श्रेष्ठता सह ज्येष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर"
"(ख) पच्चीस प्रतिशत (25%) सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) जिनका सेवाकाल 05 वर्ष से कम का न हो, की सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा जो पूर्णतः श्रेष्ठता के आधार पर हो, से पदोन्नति के द्वारा; तथा"	"(ख) दस प्रतिशत (10%) सिविल न्यायाधीश (प्रवर खण्ड) जिनका सेवाकाल पांच वर्ष से कम का न हो, की सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा जो पूर्णतः श्रेष्ठता के आधार पर हो, से पदोन्नति के द्वारा; तथा"

4–नियम 22 के उपनियम (2) का संशोधन–

मूल नियमावली, में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 22 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
"(2) सेवा में नियुक्ति चार बिन्दु रोस्टर प्रणाली के आधार पर की जायेगी, प्रथम व द्वितीय रिक्तियां उत्तरांचल न्यायिक सेवा के अधिकारीगण की पदोन्नति से तीसरी रिक्ति उत्तरांचल न्यायिक सेवा से प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा भरी जायेगी तथा चौथी रिक्ति सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेगी (और इसी प्रकार आगे भरी जायेगी)"।	"(2) सेवा में नियुक्ति, दस–दस पद के दो खण्डों वाली, बीस बिन्दु रोस्टर प्रणाली, के आधार पर की जायेगी। प्रथम खण्ड के दस पद में से प्रथम छः पद नियम 6 (क) के अनुसार भरे जायेंगे, आगामी तीन पद नियम 6(ग) के अनुसार भरे जायेंगे, अन्तिम पद नियम 6(ख) के अनुसार भरे जायेंगे, द्वितीय खण्ड के दस पदों में से प्रथम सात पद नियम 6(क) के अनुसार भरे जायेंगे, आगामी दो पद नियम 6(ग) के अनुसार भरे जायेंगे। अन्तिम पद नियम 6(ख) के अनुसार भरे जायेंगे;

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 271/XXX-(1)/2011/26(5)/2004, Dehradun,** Dated February 23, 2011 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

February 23, 2011

No. 271/XXX-(1)/2011/26(5)/2004--In exercise of the powers conferred Article 233 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to accord sanction to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Judicial Service Rules, 2004 :--

THE UTTARAKHAND HIGHER JUDICIAL SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2011

1. Short Title and Commencement--

(1) These Rules may be called the Uttarakhand Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force w.e.f. 01.01.2011.

2. The words "Uttarakhand" to be read instread of "Uttaranchal"--

In the Uttaranchal Higher Judicial Service Rules, 2004 here in after referred to as Pricipal rules, the words "Uttarakhand" to be read instead of "Uttaranchal".

3. Amendment of clause (a) and (b) rule 6--

In the said Rules for the existing clause (a) and (b) of rule 6, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted, namely :--

Column 1	Column 2
Existing clause	**Clause as here by substituted**
"(a) Fifty percent by promotion by amongst the Civil Judges (Senior Division) on the basis of principle of merit-cum-seniority."	"(a) Sixty Five percent by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division) on the basis of principle of merit-cum-seniority."
"(b) Twenty five percent by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) having not less than five years Service as Civil Judge (Senior Division)."	"(b) Ten percent by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) having not less than five years Service as Civil Judge (Senior Division)."

4. Amendment of sub-rule (2) of rule 22 :--

In the principal rules for the existing sub-rule (2) of rule 22, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2, shall be substituted, namely :--

Column 1	Column 2
Existing sub-rule	**Sub-rule as here by substituted**
"2. Appointment to the service shall be made on 4 point roster system, the first and second vacancies shall be filled from the promotion of the officer of the Uttaranchal Judicial Service, the third vacancy shall be filled up from the officers by competitive examination of Uttaranchal Judicial Service, the fourth vacany shall be filled from the list of direct recruits (and so on)."	"(2) Appointment to the service shall be made on a 20-point roster with two blocks of 10 posts each. In the first block of 10 posts, the first 6 posts shall be filled up from those appointed under rule 6 (a); and the next 3 posts from those appointed under rule 6(c), and the last post from those appointed under rule 6(b). In the second block of 10 posts, the first 7 posts shall be filled from those appointed under rule 6(a); the next 2 posts from those appointed under rule 6(c); and the last post from those appointed under rule b(b)."

By Order,

UTPAL KUMAR SINGH,
Principal Secretary.

शहरी विकास अनुभाग–1

अधिसूचना

01 मार्च, 2011 ई0

संख्या 146/IV(1)/2011–57(सा0)/2006–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–56 के प्राविधानों के अनुसार सामान्य निर्वाचन, 2008 के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य के नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायतों में विभिन्न कारणों से रिक्त निम्नलिखित सदस्यों के पद एवं स्थानों को एतद्द्वारा रिक्त घोषित किया जाता है :–

जनपद का नाम	निकाय का नाम	पद/वार्ड सं0 व नाम	आरक्षण की श्रेणी	पदाधिकारी का नाम	रिक्ति का दिनांक	रिक्ति का कारण
ऊधमसिंह नगर	न0पा0 परिषद्, गदरपुर	सदस्य/4 शिवमन्दिर	महिला	फूलारानी	11–04–2010	मृत्यु
चम्पावत	न0पा0 परिषद्, टनकपुर	सदस्य/5 न्यूटावन	अनारक्षित	चन्द्रशेखर	17–09–2009	मा0उ0 न्यायालय उत्तराखण्ड/शासन
नैनीताल	न0पा0 परिषद्, भवाली	सदस्य/7 टीकापुर	अनारक्षित	मनोज तिवारी	27–08–2009	त्याग–पत्र
पिथौरागढ़	नगर पंचायत, धारचूला	सदस्य/4 डाक बंगला	अ0ज0जा0 महिला	नीना गुंज्याल	08–09–2009	त्याग–पत्र
	न0पा0 परिषद्, पिथौरागढ़	सदस्य/14 चन्द्रभागा	सा0 महिला	रुक्मणी बिष्ट (राधा)	01–01–2011	त्याग–पत्र
रुद्रप्रयाग	न0पा0 परिषद्, रुद्रप्रयाग	सदस्य/7 पुनाड़	सामान्य	विनोद गोस्वामी	16–09–2009	त्याग–पत्र
हरिद्वार	न0पा0 परिषद्, मंगलौर	सदस्य/ मौ0 हलका	महिला	नतीश	24–12–2009	मृत्यु
		सदस्य/ मौ0 बन्दरटोल	पि0 जाति	सिराजुद्दीन	27–03–2010	मृत्यु

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–1

शुद्धि पत्र

03 मार्च, 2011 ई0

संख्या 151/IV(1)/2011–57(सा0)/2006–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–56 के प्राविधानों के अनुसार सामान्य निर्वाचन, 2008 के पश्चात् उत्तराखण्ड राज्य के नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायतों में विभिन्न कारणों से रिक्त सदस्यों के पद एवं स्थानों के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या 146/IV(1)/2011–57(सा0)/2006, दिनांक 01 मार्च, 2011 को अधिसूचना संख्या 371, दिनांक 05 अक्टूबर, 2007 के आलोक में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

जनपद नाम	निकाय का नाम	पद/वार्ड सं0 व नाम	आरक्षण की श्रेणी अधिसूचना संख्या 147, दिनांक 01 मार्च, 2011	अधिसूचना संख्या 371, दिनांक 05 अक्टूबर, 2007 के अनुसार आरक्षण की संशोधित श्रेणी
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	न0पा0 परिषद्, पिथौरागढ़	सदस्य/14 चन्द्रभागा	सा0 महिला	महिला
रुद्रप्रयाग	न0पा0 परिषद्, रुद्रप्रयाग	सदस्य/7 पुनाड़	सामान्य	अनारक्षित
हरिद्वार	न0पा0 परिषद्, मंगलौर	सदस्य/10 मौ0 बन्दरटोल	पि0 जाति	अनारक्षित

2. अधिसूचना सं0 146/IV(1)/2011/–57(सा0)/2006, दिनांक 1 मार्च, 2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

विज्ञप्ति

नियुक्ति

04 मार्च, 2011 ई0

संख्या 335/XXX–1–11–26(15) 2010–लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा, 2009 के आधार पर श्री राज्यपाल नीचे प्रस्तर–2 में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर वेतनमान रु0 27,700–770–33,090–920–40,450–1080–44,770/– में, नियुक्त किये जाने तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2–

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती का जनपद
01	सुश्री रिंकी साहनी	देहरादून
02	सुश्री शिवानी पसबोला	हरिद्वार
03	श्री रवि प्रकाश	हरिद्वार
04	श्री शहजाद अहमद वाहिद	ऊधमसिंह नगर
05	सुश्री एकता मिश्रा	ऊधमसिंह नगर
06	श्री राजीव धवन	ऊधमसिंह नगर
07	श्री मौहम्मद याकूब	नैनीताल

3–सुश्री रिंकी साहनी एवं सुश्री शिवानी पसबोला की नियुक्ति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि यदि उनकी चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट उपयुक्त नहीं पायी जाती है अथवा कोई अन्य प्रतिकूल तथ्य पाये जाते हैं तो उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

4–यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 256 वर्ष 2009 पीयूष मलिक बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 70 वर्ष 2010 विजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य तथा रिट याचिका संख्या 149 वर्ष 2010 अशोक कुमार सैनी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

अधिसूचना

विविध

11 मार्च, 2011 ई0

संख्या 380/XXX–(1)/2011/26(4)/2004–राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 सपठित अनुच्छेद 234 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तरांचल न्यायिक सेवा नियमावली, 2005 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2–उत्तरांचल शब्द के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जाना–

उत्तरांचल न्यायिक सेवा नियमावली, 2005, जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, में "उत्तरांचल" शब्द के स्थान पर "उत्तराखण्ड" शब्द पढ़ा जायेगा।

3–मूल नियमावली के नियम 14 के उपनियम (2) का संशोधन–

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 14 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उपनियम रख दिया जोयगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
(वर्तमान उपनियम)	(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)
"14(2) लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे :	"14(2) लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे :
परन्तु लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।"	परन्तु यह कि लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।"

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 380/XXX-(1)/2011/26(4)/2004, Dehradun,** Dated March 11, 2011 for general information :

NOTIFICATION

Miscellaneous

March 11, 2011

No. 380/XXX-(1)/2011/26(4)/2004--In exercise of the powers conferred by the Article 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to accord sanction to make the following Rules with a view to amend the Uttarakhand Judicial Service Rules, 2005 :--

THE UTTARAKHAND JUDICIAL SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2011

1. Short Title and Commencement--

(1) These Rules may be called the Uttarakhand Judicial Service (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force at once.

2. The words to be read "Uttarakhand" in place of "Uttaranchal"--

The words in place of "Uttaranchal" shall be read as "Uttarakhand" in the Uttaranchal Judicial Service Rules, 2005 thereinafter reffered to as principal rules.

3. Amendment of sub rule (2) of rule 14--

In the said Rules for the existing rule 14, set out in column 1 below, the sub-rule (2) as set out in column 2, sub-rule shall be substituted, namely :--

Column 1	Column 2
Existing sub-rule	**Sub-rule as here by substituted**
"14 (2) All candidates who obtained 60 percent or more marks or corresponding grade, if any, in the written examination shall be eligible for viva-voce examination: Provided that Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class candidates, who obtained 50 percent or more marks or the corresponding grade, if any, in the written examination shall be eligible for viva-voce examination."	"14 (2) All candidates who obtained 50 percent or more marks or corresponding grade, if any, in the written examination shall be eligible for viva-voce examination: Provided that Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class candidates, who obtained 40 percent or more marks or the corresponding grade, if any, in the written examination shall be eligible for viva-voce examination."

By Order,

UTPAL KUMAR SINGH,
Principal Secretary.

राजस्व अनुभाग–1

अधिसूचना

प्रकीर्ण

28 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 1160/XVIII(1)/2010–3/2004–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में अग्रत्तर संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010

1–संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त लागू होगी।

2–नियम 5 का संशोधन–

उत्तराखण्ड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक (नायब तहसीलदार) सेवा नियमावली, 2009 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) (क) चालीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;	(2) (क) तीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;
(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा :	(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;
परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो उपलब्ध न हों तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं।	(ग) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त वन पंचायत निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा:
	परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा वन पंचायत निरीक्षक उपलब्ध न हों तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

नियुक्ति / विज्ञप्ति

08 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 35 / XXVIII–2–2011–158 / 2009–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उपसंवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–3 ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 7600 के पद पर कार्यरत डा0 देवेन्द्र प्रताप दुर्गापाल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी को नियमित चयनोपरान्त आसन्न कनिष्ठ की संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उपसंवर्ग) के पद पर पदोन्नति की तिथि 04–02–2010 से प्रकल्पित रूप से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उपसंवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड / वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 8700 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्तानुसार प्रोन्नत किए जा रहे वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

3–डा0 देवेन्द्र प्रताप दुर्गापाल, संयुक्त निदेशक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

4–यह आदेश रिट याचिका संख्या–243 (एस0बी0) / 2010 डा0 देवेन्द्र प्रताप दुर्गापाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश, दिनांक 26–10–2010 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना

(नियुक्ति)

15 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 103/XXVIII–3–2011–92/2001–ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 21(1), पैरा 21(1), औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 एवं धारा 8 ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शेनेबल एडवरटाइजमेन्ट) एक्ट, 1954 द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत उपरोक्त अधिनियमों के प्रवर्तन हेतु प्राधिकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) श्री सुधीर कुमार

(2) श्रीमती मीनाक्षी बिष्ट

(3) श्री राजीव रावत

(4) श्रीमती अनीता भारती

(5) श्री चन्द्र प्रकाश नेगी

(6) श्री नीरज कुमार

(7) श्री मानेन्द्र सिंह राणा

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

NOTIFICATION

(Appointment)

February 15, 2011

No. 103/XXVIII-3-2011-92/2001--In exercise of the powers under section 21(1) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, Para 21(1) of Drugs (Price Control) Order, 1995 and section 8 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954, the Governor is pleased to appointment the following persons as inspectors for the enforcement of provisions of above acts in the State of Uttarakhand :--

(1) Sri Sudhir Kumar

(2) Smt. Meenakshi Bisht

(3) Shri Rajeev Rawat

(4) Smt. Anita Bharti

(5) Shri Chandra Prakash Negi

(6) Shri Neeraj Kumar

(7) Shri Manendra Singh Rana.

By Order,

Dr. UMAKANT PANWAR.
Secretary

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

23 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 61/XIII-II/2011–61(कृषि)/2001–श्री जगदीश चन्द्र बेलवाल, महाप्रबन्धक (औद्योगिक विकास), कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, ओकपार्क हाऊस, नैनीताल को शासन की अधिसूचना संख्या–310/F&RD-Agri/2001, दिनांक 28–06–2011 द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 10 (1)(k), 10(3) तथा 10(4) के प्राविधानों के अन्तर्गत स्नातक प्रतिनिधि के रूप में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (ऊधमसिंह नगर) में 03 वर्ष के लिए नामित किया था। उक्त धारा 10(4) की व्यवस्थानुसार श्री बेलवाल का उक्त नामांकन बहुत समय पूर्व ही निष्प्रभावी हो चुका है।

2–अतएव उक्तानुसार श्री बेलवाल प्रबंध परिषद् के सदस्य नहीं रह गये हैं और उनकी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी घोषित किया जाता है।

3–कुलपति स्नातक प्रतिनिधि के निर्वाचन ही कार्यवाही नियमानुसार अतिशीघ्र सम्पन्न कर शासन को अधिसूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ओम प्रकाश,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

विज्ञप्ति/नियुक्ति

25 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 130/XXVIII–2–2011–159/2009–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (सामान्य उपसंवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–3 ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 7600 के पद पर कार्यरत डा0 धीरेन्द्र सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी को नियमित चयनोपरान्त आसन्न कनिष्ठ की संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उपसंवर्ग) के पद पर पदोन्नति की तिथि 26.03.2010 से प्रकल्पित रूप से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही संयुक्त निदेशक (सामान्य उपसंवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड/वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 8700 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्तानुसार प्रोन्नत किए जा रहे संयुक्त निदेशक (सामान्य उपसंवर्ग) को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

3–डा0 धीरेन्द्र सिंह गर्ब्याल, संयुक्त निदेशक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

4–यह आदेश रिट याचिका संख्या–124 (एस0बी0)/2010 डा0 धीरेन्द्र सिंह गर्ब्याल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश, दिनांक 29–12–2010 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

लघु सिंचाई अनुभाग

कार्यालय आदेश

11 मार्च, 2011 ई0

संख्या 362/II–2011–01(10)/2010–कार्मिक अनुभाग–2 के अ0शा0 पत्र संख्या 299ए/XXX(2)/11, दिनांक 08–03–2011 के द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री मुहम्मद उमर, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई को मुख्य अभियन्ता स्तर–2, वेतनबैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37400–67000, सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 8900 में 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में

रखते हुए तात्कालिक प्रभाव से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री मुहम्मद उमर को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के पद का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

11 मार्च, 2011 ई0

संख्या 363/II–2011–01(11)/2010–विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 04–03–2011 को आयोजित बैठक की संस्तुति के क्रम में तात्कालिक प्रभाव से निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई वेतन बैण्ड–3, वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 में 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखते हुए पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्री जे0 पी0 भास्कर (सामान्य पद के विरुद्ध)
2. श्री अतुल कुमार पाठक
3. श्री राजीव रंजन
4. श्री विनय कुमार सिंह।

उक्त पदोन्नत कार्मिकों की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

11 मार्च, 2011 ई0

संख्या 305/xxxi(13)G/07–38(71)/07–सामान्य प्रशासन विभाग की कार्यालय ज्ञाप संख्या–643/xxxi(13)G/07–38(71)/07, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 द्वारा न्यायमूर्ति (से0 नि0) श्री शम्भू नाथ श्रीवास्तव के कार्यकाल को दिनांक 03 सितम्बर, 2010 से 02 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिये बढ़ाया गया था। शासन की अधिसूचना संख्या 783/xxxi(13)G/07–38(71)/07, दिनांक 14 सितम्बर, 2010 द्वारा जांच आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री बी0सी0 काण्डपाल को नियुक्त किया गया था।

2–उपरोक्त के क्रम में श्री राज्यपाल जांच आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री बी0सी0 काण्डपाल के कार्यकाल को दिनांक 02 मार्च, 2011 से 01 मार्च 2012 तक 01 वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3–शासन की अधिसूचना संख्या–720/xxxi(13)G/07–38(71)/07, दिनांक 08–09–2007 द्वारा निर्धारित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4–आयोग से अनुरोध है कि अपनी रिपोर्ट आयोग के कार्यकाल (दिनांक 01 मार्च, 2012) तक शासन को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

राजीव चन्द्र,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना

15 मार्च, 2011 ई0

संख्या 108/XXVIII–3–2011–133/2007–राज्यपाल, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37, सन् 1954) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से श्री सुदेश कुमार कौशिक, लोक विश्लेषक, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) को उत्तराखण्ड राज्य में खाद्य श्रेणी की समस्त वस्तुओं के विश्लेषण हेतु लोक विश्लेषक नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 108/XXVIII-3-2011-133/2007,** Dated March 15, 2011 for general information :

NOTIFICATION

March 15, 2011

No. 108/XXVIII-3-2011-133/2007--In exercise of the powers conferred by section 8 of the provision of Food Adultration Act, 1954 (Central Act No. 37 of 1954), the Governor is pleased to appoint as Public Analyst, Shri Sudesh Kumar Koshik of State Food and Drugs Laboratory, Rudrapur (Udhamsingh Nagar) from the date of publication of this notification in the gazette for test and analysis of all food articles to the State of Uttarakhand.

By Order,

Dr. UMAKANT PANWAR,
Secretary.

गृह अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 991/XX–1/416/आई0पी0एस0/2009–भारतीय पुलिस सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) 2007 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01–02–2011 से कनिष्ठ वेतनमान (रुपये 15600–39100, ग्रेड पे–रु0 5400) से वरिष्ठ वेतनमान (रुपये 15600–39100, ग्रेड पे–रु0 6600) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है :–

1. श्री जनमेजय प्रभाकर कैलाश
2. श्री सदानन्द शंकर राव दाते
3. श्री सैंथिल अबूदई कृष्ण राज एस
4. श्री सुनील कुमार मीणा।

दीपम सेठ,
अपर सचिव।

गृह अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

18 जनवरी, 2011 ई0

संख्या 78/XX–1/10–289 वि0/10–राज्यपाल, जनपद देहरादून के क्षेत्र, विकासनगर में शव विच्छेदन गृह का निर्माण हो जाने के फलस्वरूप शव विच्छेदन गृह, विकासनगर में मानव शवों के विच्छेदन (Post-Mortem) तथा उनके चिकित्सीय परीक्षण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–शव विच्छेदन गृह, विकासनगर में निम्नलिखित थाना/तहसील क्षेत्रों के मानव शवों का शव विच्छेदन/चिकित्सीय परीक्षण का कार्य सम्पादन किये जायेंगे :–

1. थाना विकास नगर, जनपद देहरादून
2. थाना सहसपुर, जनपद देहरादून
3. थाना कालसी, जनपद देहरादून
4. थाना चकराता, जनपद देहरादून
5. राजस्व क्षेत्र तहसील चकराता, देहरादून
6. राजस्व क्षेत्र तहसील त्यूनी, देहरादून
7. राजस्व क्षेत्र तहसील काली, देहरादून।

आज्ञा से,

जे0 पी0 जोशी,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/208–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मई, 2011 ई0 (बैशाख 17, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म अनुभाग)

विज्ञप्ति

03 मार्च, 2011 ई0

पत्रांक 4993 / आयु0 कर उत्तरा0 / सहायता केन्द्र / फार्म / 10–11 / वाणिज्य कर / दे0दून–आयात के लिए घोषणा पत्रों पर प्रयुक्त होने वाले स्टैम्प्स सीरीज BBUK-2010 (क्रमांक 0000001 से 2500000 तक) को मुद्रित कराये जाने के उपरान्त इस कार्यालय की विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से प्रचलन में आ जायेंगे। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्तियों से प्रचलित स्टैम्प्स भी प्रचलन में बने रहेंगे।

उक्त सीरीज एवं क्रमांक के सभी स्टैम्प्स 60 GSM के क्रीमवेव पेपर पर मुद्रित कराये गये हैं तथा सभी स्टैम्प्स में एक सिक्योरिटी फीचर्स हैं। BBUK-2010 सीरीज के स्टैम्प्स की बैक ग्राउण्ड प्रिंटिंग हल्के हरे रंग में की गयी है। स्टैम्प्स पूर्व की भांति दो प्रतियों में मुद्रित हैं तथा उनके ऊपर वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, विभाग लिखा गया है। स्टैम्प्स के बीच में वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड सरकार का लोगो बना हुआ है। स्टैम्प्स में हल्के काले रंग में नम्बरिंग डिजिटल प्रिंटिंग मशीन द्वारा की गयी है।

राधा रतूड़ी,
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड

प्रभार प्रमाण–पत्र

31 मार्च, 2011 ई0

संख्या 2327 / वै0प0 / 3(1)नि0को0वि0से0 / 2011–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 117 / XXVII(6) / 2011, दिनांक 30 मार्च, 2011 के अनुपालन में जैसा कि यहां व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 31–03–2011 के अपरान्ह में निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार हस्तान्तरित किया गया।

जी0 के0 पन्त,
मुक्त अधिकारी।

शरद चन्द्र पाण्डेय,
मोचक अधिकारी।

समक्ष

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

गणपूर्ति

श्री आनंद कुमार सदस्य

आदेश, दिनांक : 22.03.2011

आदेश

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 तथा इस निमित्त समर्थकारी प्राविधानों के अधीन 30.06.2011 तक के लिए विस्तारित करता है, यदि आयोग द्वारा इनका पहले पुनरावलोकन या विस्तार नहीं किया जाता:

क्र0सं0	विनियम का नाम
1.	उविनिआ (जल विद्युत उत्पादन की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004
2.	उविनिआ (वितरण दर अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004
3.	उविनिआ (पारेषण दर के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2004

ह0/–
आनंद कुमार,
सदस्य।

Before

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Coram

Shri Anand Kumar Member

Date of Order: 23.03.2011

Order

In exercise of power conferred to it under Section 61 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) hereby extends the applicability of the following Regulations for a period upto 30.06.2011, unless reviewed earlier or extended further, beyond their present period of applicability:

Sl. No.	Name of Regulation
1.	UERC (Terms & Condition for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2004
2.	UERC (Terms & Condition for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2004
3.	UERC (Terms & Condition for Determination of Distribution Tariff) Regulations, 2004

Sd/-
ANAND KUMAR.
Member.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 हिन्दी गजट/208–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान उपनियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(2) (क) चालीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;	(2) (क) तीस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त राजस्व निरीक्षक में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;
(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा :	(ख) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;
परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो उपलब्ध न हों तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं।	(ग) दस प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त वन पंचायत निरीक्षकों में से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा:
	परन्तु यह कि यदि पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त रजिस्ट्रार कानूनगो अथवा वन पंचायत निरीक्षक उपलब्ध न हों तो पद उपनियम (2) के खण्ड (क) के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

नियुक्ति / विज्ञप्ति

08 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 35 / XXVIII–2–2011–158 / 2009–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उपसंवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–3 ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 7600 के पद पर कार्यरत डा0 देवेन्द्र प्रताप दुर्गापाल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी को नियमित चयनोपरान्त आसन्न कनिष्ठ की संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उपसंवर्ग) के पद पर पदोन्नति की तिथि 04–02–2010 से प्रकल्पित रूप से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उपसंवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड / वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 8700 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्तानुसार प्रोन्नत किए जा रहे वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

3–डा0 देवेन्द्र प्रताप दुर्गापाल, संयुक्त निदेशक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

4–यह आदेश रिट याचिका संख्या–243 (एस0बी0) / 2010 डा0 देवेन्द्र प्रताप दुर्गापाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश, दिनांक 26–10–2010 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–3

अधिसूचना

(नियुक्ति)

15 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 103/XXVIII–3–2011–92/2001–ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 21(1), पैरा 21(1), औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 एवं धारा 8 ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज (ऑब्जेक्शेनेबल एडवरटाइजमेन्ट) एक्ट, 1954 द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित औषधि निरीक्षकों को उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत उपरोक्त अधिनियमों के प्रवर्तन हेतु प्राधिकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) श्री सुधीर कुमार

(2) श्रीमती मीनाक्षी बिष्ट

(3) श्री राजीव रावत

(4) श्रीमती अनीता भारती

(5) श्री चन्द्र प्रकाश नेगी

(6) श्री नीरज कुमार

(7) श्री मानेन्द्र सिंह राणा

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

NOTIFICATION

(Appointment)

February 15, 2011

No. 103/XXVIII-3-2011-92/2001--In exercise of the powers under section 21(1) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, Para 21(1) of Drugs (Price Control) Order, 1995 and section 8 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1954, the Governor is pleased to appointment the following persons as inspectors for the enforcement of provisions of above acts in the State of Uttarakhand :--

(1) Sri Sudhir Kumar

(2) Smt. Meenakshi Bisht

(3) Shri Rajeev Rawat

(4) Smt. Anita Bharti

(5) Shri Chandra Prakash Negi

(6) Shri Neeraj Kumar

(7) Shri Manendra Singh Rana

By Order,

Dr. UMAKANT PANWAR
Secretary

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

23 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 61/XIII-II/2011–61(कृषि)/2001–श्री जगदीश चन्द्र बेलवाल, महाप्रबन्धक (औद्योगिक विकास), कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, ओकपार्क हाऊस, नैनीताल को शासन की अधिसूचना संख्या–310/F&RD-Agri/2001, दिनांक 28–06–2011 द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 10 (1)(k), 10(3) तथा 10(4) के प्राविधानों के अन्तर्गत स्नातक प्रतिनिधि के रूप में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर (ऊधमसिंह नगर) में 03 वर्ष के लिए नामित किया था। उक्त धारा 10(4) की व्यवस्थानुसार श्री बेलवाल का उक्त नामांकन बहुत समय पूर्व ही निष्प्रभावी हो चुका है।

2–अतएव उक्तानुसार श्री बेलवाल प्रबंध परिषद् के सदस्य नहीं रह गये हैं और उनकी सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी घोषित किया जाता है।

3–कुलपति स्नातक प्रतिनिधि के निर्वाचन ही कार्यवाही नियमानुसार अतिशीघ्र सम्पन्न कर शासन को अधिसूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ओम प्रकाश,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

विज्ञप्ति/नियुक्ति

25 फरवरी, 2011 ई0

संख्या 130/XXVIII–2–2011–159/2009–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (सामान्य उपसंवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–3 ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 7600 के पद पर कार्यरत डा0 धीरेन्द्र सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ चिकित्साधिकारी को नियमित चयनोपरान्त आसन्न कनिष्ठ की संयुक्त निदेशक (विशेषज्ञ उपसंवर्ग) के पद पर पदोन्नति की तिथि 26.03.2010 से प्रकल्पित रूप से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही संयुक्त निदेशक (सामान्य उपसंवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–4, सदृश वेतन बैण्ड/वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड पे ₹ 8700 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्तानुसार प्रोन्नत किए जा रहे संयुक्त निदेशक (सामान्य उपसंवर्ग) को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

3–डा0 धीरेन्द्र सिंह गर्ब्याल, संयुक्त निदेशक की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

4–यह आदेश रिट याचिका संख्या–124 (एस0बी0)/2010 डा0 धीरेन्द्र सिंह गर्ब्याल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश, दिनांक 29–12–2010 के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

लघु सिंचाई अनुभाग

कार्यालय आदेश

11 मार्च, 2011 ई0

संख्या 362/II–2011–01(10)/2010–कार्मिक अनुभाग–2 के अ0शा0 पत्र संख्या 299ए/XXX(2)/11, दिनांक 08–03–2011 के द्वारा प्राप्त संस्तुति के क्रम में श्री मुहम्मद उमर, अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई को मुख्य अभियन्ता स्तर–2, वेतनबैण्ड–4, वेतनमान ₹ 37400–67000, सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 8900 में 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में

रखते हुए तात्कालिक प्रभाव से पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री मुहम्मद उमर को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के पद का कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

11 मार्च, 2011 ई0

संख्या 363/II–2011–01(11)/2010–विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 04–03–2011 को आयोजित बैठक की संस्तुति के क्रम में तात्कालिक प्रभाव से निम्नांकित सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई वेतन बैण्ड–3, वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 में 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखते हुए पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्री जे0 पी0 भाष्कर (सामान्य पद के विरुद्ध)
2. श्री अतुल कुमार पाठक
3. श्री राजीव रंजन
4. श्री विनय कुमार सिंह।

उक्त पदोन्नत कार्मिकों की पदस्थापना के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। उपरोक्त कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय–ज्ञाप

11 मार्च, 2011 ई0

संख्या 305/xxxi(13)G/07–38(71)/07–सामान्य प्रशासन विभाग की कार्यालय ज्ञाप संख्या–643/xxxi(13) G/07–38(71)/07, दिनांक 01 सितम्बर, 2010 द्वारा न्यायमूर्ति (से0 नि0) श्री शम्भू नाथ श्रीवास्तव के कार्यकाल को दिनांक 03 सितम्बर, 2010 से 02 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिये बढ़ाया गया था। शासन की अधिसूचना संख्या 783/xxxi(13)G/07–38(71)/07, दिनांक 14 सितम्बर, 2010 द्वारा जांच आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री बी0सी0 काण्डपाल को नियुक्त किया गया था।

2–उपरोक्त के क्रम में श्री राज्यपाल जांच आयोग के अध्यक्ष पद पर न्यायमूर्ति (से0नि0) श्री बी0सी0 काण्डपाल के कार्यकाल को दिनांक 02 मार्च, 2011 से 01 मार्च 2012 तक 01 वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3–शासन की अधिसूचना संख्या–720/xxxi(13)G/07–38(71)/07, दिनांक 08–09–2007 द्वारा निर्धारित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

4–आयोग से अनुरोध है कि अपनी रिपोर्ट आयोग के कार्यकाल (दिनांक 01 मार्च, 2012) तक शासन को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

राजीव चन्द्र,
सचिव।